भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4159 का उत्तर

प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत रेलवे लाइन

4159. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेषकर महाराष्ट्र और उसके संभाजीनगर जिले में कार्यान्वयन के लिए मल्टी-मॉडल संपर्क हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत चिह्नित की गई/शुरू की गई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि उपज, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं की ढुलाई के लिए चिह्नित किए गए मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के तीव्र विकास के लिए संपर्क प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी

sk

परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ होने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। देश भर में फैले नेशनल मास्टर प्लान से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच आपसी सहयोग से रेलवे, जहाजरानी, सड़क मार्ग, दूरसंचार, पाइपलाइन आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच सहक्रियता स्थापित हुई है, जिससे परिवहन दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से वाली कनेक्टिविटी बढ़ी है, परिणामस्वरुप परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों के साथ-साथ योजना तैयार करने में तेजी आई है।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल संपर्कता अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य एकीकृत नियोजन, संभार तंत्र की दक्षता में वृद्धि और लोगों, माल/वस्तुओं अर्थात कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि की निर्बाध आवाजाही के लिए बाधाओं को दूर करना और सामरिक महत्व के स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, बिजली संयंत्रों, गांवों आदि से संपर्कता सहित सेवाएं प्रदान करना है।

भारतीय रेल नेटवर्क पर रेल परियोजनाएँ महाराष्ट्र सहित गति शक्ति जीआईएस प्लेटफ़ॉर्म पर मानचित्रित की गई हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति संस्थागत तंत्र का उपयोग भू-सर्वेक्षण, भूमि अभिलेख, मार्ग का संरेखण के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना योजना की तैयारी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइनें, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 44,488 किलोमीटर तथा लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रु. है, जो योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण

में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

भारतीय रेल में अवसरंचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹11,527 करोड़/वर्ष
2025-26	₹68,785 करोड़ रुपये (लगभग 6 गुना)

भारतीय रेल पर कमीशन किए गए/बिछाए गए रेलपथों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	औसतन कमीशन किए गए नये रेलपथ
2009-14	7,599 कि.मी	4.2 कि.मी./दिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी./दिन (2 गुना से अधिक)

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 41 रेल परियोजनाएँ (16 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 5,877 किलोमीटर है और जिनकी लागत 81,580 करोड़ रुपए है, योजना तथा कार्यान्वयन

sk

के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,237 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	16	2,017	166	8,529
आमान परिवर्तन	2	609	312	3,332
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	23	3,251	1,448	19,376
कुल	41	5,877	1,926	31,237

महाराष्ट्र में पूर्णतः/अंशत: पड़ने आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए औसत बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	व्यय
2009-14	रु. 1,171 करोड़/वर्ष
2025-26	23778 करोड़ (20 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए नए रेलपथ	कमीशन किए नए रेलपथ का वार्षिक औसत
2009-14	292 कि.मी.	58.4 कि.मी./प्रतिदिन
2014-24	1830 कि.मी.	183 कि.मी./प्रतिदिन (3 गुना से अधिक)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 7,458 किलोमीटर कुल लंबाई के 91 सर्वेक्षणों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग) को मंजूरी दी गई है, जिसमें शामिल हैं:

(i) औरंगाबाद-परभणी खंड (177 कि.मी.) के बीच दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण

(ii) अहमदनगर से औरंगाबाद (100 कि.मी.) के बीच नई लाइन सर्वेक्षण

(iii)उस्मानाबाद-बीड-औरंगाबाद (240 कि.मी.)

(iv) औरंगाबाद से चालीसगांव (93 कि.मी.)

(v) औरंगाबाद-अंकाई (98 कि.मी.) का दोहरीकरण

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें:-(i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****

sk